भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 304

05.02.2024 को उत्तर के लिए

परियोजना निर्माण के लिए पेड़ों को गिराना

304. श्री प्रद्युत बोरदोलोई :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि असम के गोलपाड़ा में कृष्णाई वन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 को चौड़ा करके चार लेन का बनाने के लिए 18,000 से अधिक पेड़ काटे जाने की स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विविध वन्य जीवों और इस क्षेत्र के पारिस्थितिकीय संतुलन की रक्षा करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस परियोजना के आरंभ होने से पूर्व इस क्षेत्र में ऐसी निर्माण गतिविधियों के पारिस्थितिकीय प्रभावों के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस क्षेत्र में वन क्षेत्र को बनाए रखने और काटे जा रहे पेड़ों की संख्या की भरपाई करने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ङ) : राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत वृक्षों को काटने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें 15475 वृक्ष शामिल हैं। इस मामले में पर्यावरण प्रभाव आकलन किया गया था और वृक्षारोपण तथा वन्यजीव प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित उपाय भी वृक्षों की कटाई के दुष्प्रभावों की रोकथाम संबंधी उपायों के हिस्से हैं:

(i) 55.294 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण,

(ii) राजस्व भूमि पर प्रत्येक काटे गए वृक्ष के बदले 1:10 के अनुपात में वृक्षारोपण,

(iii) जहां भी संभव हो, वृक्षों का स्थानांतरण,

(iv) प्रयोक्ता एजेंसी की लागत से जलग्रहण क्षेत्र शोधन योजना, वन्यजीव प्रबंधन योजना और मानव-हाथी संघर्ष कम करने के उपाय।

*****